न्यायालय – श्रीमान् ~~अतिरिक्त कमिश्नर~~ महोदय, सागर, संभाग सागर

1. रहीस खां उम्र 39 वर्ष पिता ताज खां पेशा कृषि

2. सफीक खां उम्र 36 वर्ष पिता ताज खां पेशा कृषि

3. सलमान खां उम्र 31 वर्ष पिता ताज खां पेशा कृषि

4. साहबान खां उम्र 21 वर्ष पिता ताज खां पेशा कृषि

सभी निवासी ग्राम रजौला तह0 देवरी जिला सागर म0प्र0

5. नफीसा पुत्री ताज खां पति सलीम खां उम्र 34 वर्ष निवासी सहजपुर तह0 केसली जिला सागर म0प्र0

..............पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

।।बनाम।।

1. दाम खां पिता छोटे खां बहना उम्र 66 वर्ष निवासी झुनकू तह0 देवरी जिला सागर म0प्र0

2. प्यार खां पिता अनन्ते खां उम्र 65 वर्ष निवासी झुनकू तह0 देवरी जिला सागर म0प्र0

...........उत्तरदाता / अनावेदकगण

पुनरीक्षण धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

पुनरीक्षणकर्तागण / आवेदकगण श्रीमान् के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवरी के रा0 अपी0 क्र0

(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3293/2018/सागर/भू.रा. रहीस विरूद्ध दाम खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सर्वेश तिवारी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवरी जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 09/अ6/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 09-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

4.1.19

	है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 4.1.19	